भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 3829
मंगलवार, 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

+3829. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की स्थापना के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार एनसीडीसी के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के समग्र विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित/स्वीकृत की गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जो सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन है, की स्थापना वर्ष 1963 में देश भर में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा फसलोत्तर सुविधाओं की स्थापना के लिए किसान सहकारी समितियों को प्रोत्साहित, सशक्त और विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी । निगम का फोकस कृषि विपणन और निविष्टियों, प्रसंस्करण, भंडारण, शीत श्रृंखला और कृषि उपज के विपणन और बीजों, उर्वरक तथा अन्य कृषि निविष्टियों की आपूर्ति, आदि के कार्यक्रमों पर है । गैर-कृषि क्षेत्र में निगम का प्रयास सहकारी समितियों, विशेषकर डेयरी, पशुधन, हैंडलूम, रेशम उत्पादन, पोल्ट्री, मात्स्यिकी और दुर्बल वर्गों की सहकारी समितियों जैसे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारी समितियां, इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनमें आय वर्धन के कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने की सुविधाओं से लैस करना है ।

(ख): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ऋण प्रदान करके सहकारी समितियों को सशक्त करने हेतु अपने निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

I. **युवा सहकार:** यह योजना नए और/या अभिनव विचारों वाली नवस्थापित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन को लक्षित है ।

II. **आयुष्मान सहकार:** इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को शामिल करने का व्यापक दृष्टिकोण है ।

III. **नंदिनी सहकार:** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता को बढ़ावा देना है।

IV. **डेयरी सहकार:** यह सहकारी डेयरी व्यवसाय पर केंद्रित एक वित्तीय सहायता संरचना है जिसका लक्ष्य सहकारी समितियों को ESG (पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन) से जुड़े कार्यकलापों में उच्चतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है ।

V. **स्वयं शक्ति सहकार योजना:** यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण/ अग्रिम प्रदान करने हेतु कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है ।

VI. **दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना**: एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए आगे ऋण देने हेतु दीर्घावधि ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना ।

VII. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान की पूर्ववर्ती केंद्रीय क्षेत्रक योजना:** सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को सशक्त करने के लिए ।

VIII. **पूर्ववर्ती केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकार योजना (CSISAC) – सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रम को सहायता ।**

एनसीडीसी कृषि, बागवानी, मात्स्यिकी, डेयरी, पशुधन, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और शीत श्रृंखला, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के समग्र विकास के लिए भारत सरकार की निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्रक/प्रायोजित योजनाएं भी कार्यान्वित करता है:

I. कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)- भंडारण अवसंरचना और भंडारण से अन्यत्र अवसंरचना के लिए केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन उप-योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

II. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) – फसलोत्तर एकीकृत प्रबंधन – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

III. कृषि अवसंरचना निधि के अधीन वित्तीय सुविधा के माध्यम से ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

IV. राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET) के बीज और रोपण सामग्री उपमिशन (SMSP) के अधीन बीज उत्पादन घटक को बढ़ाने के लिए सहायता ।

V. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) – मत्स्यपालन विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

VI. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) – खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय।

VII. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन की योजना– कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

VIII. (1) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) – खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन योजना- खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ।

(2) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)– एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना - खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ।

IX. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) – जनजातीय कार्य मंत्रालय ।

X. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) - मत्स्यपालन और डेयरी विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

XI. पुन:संरेखित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) - मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

अन्य:

XII. (1) चीनी विकास फंड

(2) महाराष्ट्र सरकार (ब्याज अनुदान)

(ग): सहकारी समितियों के समग्र विकास के लिए एनसीडीसी द्वारा संवितरित निधि का ब्योरा **संलग्नक-I** पर दिया गया है ।

संलग्नक– 1

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में एनसीडीसी का संवितरण

(करोड़ रुपये)

		क			ख			ग		
क्रम सं.	**वित्तीय वर्ष**	**एनसीडीसी प्रायोजित योजनाएं**			**केंद्रीय क्षेत्रक/प्रायोजित योजनाएं**			**अन्य योजनाएं**		**कुल योग**
		ऋण	**सब्सिडी**	**कुल**	**ऋण**	**सब्सिडी**	**कुल**	**चीनी विकास फंड**	**महाराष्ट्र सरकार (ब्याज सब्सिडी)**	
1	2022-23	40,200.66	6.30	40,206.96	312.18	504.97	817.15	0.46	6.83	41,031.40
2	2023-24	58,172.24	6.75	58,179.00	2,046.29	383.73	2,430.02	—	9.45	60,618.47
3	2024-25	86,999.05	—	86,999.05	8,031.25	149.41	8,180.66	—	3.16	95,182.87
4	2025-26 (04.08.2025 के अनुसार)	29,525.66	—	29,525.66	54.41	46.51	100.93	—	0.88	29,627.47
	कुल	**2,14,897.61**	**13.05**	**2,14,910.67**	**10,444.13**	**1,084.62**	**11,528.76**	**0.46**	**20.32**	**2,26,460.21**